राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/11630 दिनांकः11/11/16

## परिपत्र

नगरीय विकास कर की वसूली आलौच्य वर्ष 2016–17 में नगण्य होने के कारण नगरीय विकास कर की प्रभावी वसूली हेतु अभियान आयोजित किया जाना आवश्यक है ताकि आमजन को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके एवं राजस्व में वृद्धि हो सके। अतः दिनांक 15.11.2016 से 31.01.2017 तक विशेष अभियान चलाकर नगरीय विकास कर की वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जावे। अभियान के दौरान समस्त नगरीय निकायो के स्तर से प्रभावी वसूली की जाकर कम से कम 70 प्रतिशत बकाया राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि शेष 30 प्रतिशत नगरीय विकास कर की वसूली दिनांक 31.03.2017 तक की जा सके। इस हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारियो को नगरीय विकास कर वसूली के लक्ष्य दिये जावे।

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/9356 दिनांक 24.08.2016 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2016 में जारी किये गये है। उक्त नियमो में यह प्रावधित किया गया है किः–

(i). करदाता द्वारा स्वयं कर का स्व निर्धारण किया जा सकेगा। इस हेतु राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2016 के 5(2) में प्रावधित है किः–

"(2) The person primarily liable to pay tax shall assess the tax payable by him and deposit the tax in bank account of the Municipality or in the office of the Municipality. After depositing the tax, self- assessment return in Form-III duly and correctly filed in, along with a copy of challan or receipt of tax deposited, shall be submitted by him in the office of Municipality, in person or by post or by transmitting them through online e-governance system." इस हेतु फार्म–III की प्रतियां करवाकर करदाता को स्मार्ट राज के अन्तर्गत सर्वे करने वाले व्यक्ति के माध्यम से वितरित करवायी जाये

तथा करदाता को वितरण करने हेतु प्रयाप्त मात्रा में फार्म–III की प्रतियां सर्वेकर्ता को उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु व्यापक प्रचार किया जावें।

(ii). करदाता सीधे ही नगरीय निकायो में नगरीय विकास कर अदा कर सकेगा तथा कर की अदायगी को सुविधाजनक बनाये जाने के लिये नगरीय निकाय यथा संभव क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, बैंकखाता ऑनलाईन जमा कराने की प्रक्रिया इत्यादि साधनो से राशि अदा किये जाने के संबंध में प्रावधित करेगी।

अतएव उक्त प्रावधान अनुसार सभी नगरीय निकाय कार्यवाही करना सुनिश्चित करे तथा नगरीय विकास कर की प्रभावी वसूली हेतु अभियान दिनांक 15.11.2016 से 31.01.2017 तक आयोजित किया जावे।

11/11

( पवन अरोडा )
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/11631–12061 दिनांकः 11/11/16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ।
02. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
04. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
05. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष.नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
06. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
07. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
08. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी